

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - एफ 18 (06) आ.कृ./वा.पू./2019-20/

दिनांक

कार्यालय-आदेश

वित्त विभाग के आई डी. नं. 101902791 दिनांक 17.06.2019, 101902951 दिनांक 27.06.2019 एवं 151900703 दिनांक 12.09.2019, द्वारा वित्त (समन्वय) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.11 (01) वित्त/समन्वय/2018 जयपुर दिनांक 12.04.2019 के अनुसरण में वाहन किराये पर लेकर संचालन करने हेतु पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक 203-15 दिनांक 01.07.2019 एवं 22279-284 दिनांक 14.09.2019 में वित्त विभाग की आई डी. नं. 151900743 दिनांक 27.09.2019 संशोधन कर टिड्डी सर्वेक्षण, नियंत्रण एवं प्रबंधन में लगे वाहनों को माह में 20 दिन के स्थान पर पुरे माह तथा दूरी 2000 कि.मी. प्रति माह के स्थान पर वास्तविक दूरी के लिए उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

आयुक्त, कृषि

क्रमांक - एफ 18 (06) आ.कृ./वा.पू./2019-20/ ~~402-406~~ दिनांक - 9/10/19  
प्रतिलिपि :- विम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (पौ.सं.) मु. जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) खण्ड जोधपुर
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करावे।।
6. वाहन पूल शाखा।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

Programmer  
Chitra (IA)

9/10/19